

मध्य रेल

CENTRAL RAILWAY



मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
संरक्षा विभाग नागपुर

DRM OFFICE
SAFETY BRANCH NAGPUR

No. NGP/STF. 101.Z/SI/15-2024-25

दिनांक: 20.12.2024

Safety Instruction No. 15/2024-25

SUB: INSTRUCTION FOR SAFE WORKING OF TOWER WAGON DURING POWER & TRAFFIC BLOCK.

1. Following movements of Tower wagon during Power and Traffic block is permitted in Absolute Block System.

	Work and Proceed	Work and Return
Double line (Right line)	Permitted	Permitted
Double line (Wrong line)	Not-Permitted	Permitted
Single line	Permitted	Permitted

In case of Automatic Block Territory same will be treated as Absolute Block Territory and Tower Wagon(s) will be permitted to work as mentioned above.

2. A Tower wagon shall not be permitted to enter the section following a train in Absolute Block Signalling Territory, however, in case of integrated block, one or more tower wagon(s) can be permitted in block along with Material train/TRT/PQRS, TMMs and S.R.4.65-4 (Rules for Integrated Block) in this regard shall be followed.
3. While working in block minimum 200 m distance to be maintained between Tower wagons and it may be reduced depending on site working condition by taking necessary precautions.
4. Tower wagon should only be driven from the Leading Cab for safe operation.
5. While checking / carrying out maintenance of Turnouts or Crossovers by Tower Wagon, it must be ensured that the Turnouts or Crossovers Points which are to be checked or their maintenance is to be carried out, should be set properly for anticipated movement over them. Otherwise, same may lead to derailment or other untoward incident.
6. While carrying out OHE maintenance by tower wagon during Power & Traffic block, it must be ensured that from which OHE mast location power block section starts and after entering into the power block section, the pantograph of the T/wagon is to be raised up to ensure that power block of the required section is given by TPC.
7. After getting permission from SCOR, Block Permit will be issued to JE/SSE (TRD) in the standard Proforma T/1708A However, for movement of Tower wagon(s) within station section, T/806 shall be issued
8. Before proceeding by tower wagon for OHE maintenance, it must be ensured that the **Earthing Isolator of the Tower wagon must be in closed condition.**


9. **Speed Restriction in wrong direction:** - Tower wagon moving in the direction opposite to normal direction of traffic will run at speed not exceeding 25 Kmph. This is similar to SR 6.02-1(II) i.e. speed restriction for single line working in double line section.
The speed restriction should also be endorsed in caution order column of "**Block permit / Integrated block requisition notice and permit**" by Station master of block permitting station.
10. Operators /Pilots of Tower wagons should drive cautiously, whistle freely and observe hand signals to stop short of any obstruction. This should be endorsed in caution order column of "Block permit / Integrated block requisition notice and permit" by station master of block permitting station.
11. On double line sections, operators / Pilots of Tower Wagon moving in the direction opposite to normal direction of traffic should switch on flasher light.
12. **Communication of Block granted:** - Communication of block granted, number of vehicles, sequence of movement of vehicles into the block section, time when block is granted as mentioned in the block requisition and permit, should be conveyed on mobile phone to all site in charges of all departments by the official in charge (P Way) / Overall in-charge of integrated block. The same should be conveyed by the in charges to the workers in the field.
13. **Protection of worksite:** Worksite should be protected adequately as per Para 806(2) IRPWM and Para SR 4.65-5 & GR 15.09 and SR there on, as applicable.
14. **Wearing of Luminous jackets / Band by all personnel working in the block:** All personnel should wear luminous (retro-reflective) jackets /Bands while working in the block for the entire duration of the block.
15. The information of alterations done in the work to be carried by tower wagon should be informed to concerned Station masters of station & TPC to avoid unusual.
16. After completion of the work, the official Incharge of the Tower Wagon(s) shall certify above clearance of the section and initial against the relevant entry in the Train Signal Register in token of the section having been cleared of all Tower Wagon(s).
17. **Some additional precaution for movement of Tower Wagon and Movement of multiple tower wagons in block section (under traffic & power block for TRD maintenance) will be done as under [As per Advance Correction Slip No. 7 to Railway Manual of AC traction (ACTM) Vol. II Part I, Chapter-3, Para 20319 Sub Para (C)]:**
 - a. **Movement:** The movement of OHE Inspection Car on track will be governed by all the rules governing movement of train.
 - b. **Movement of multiple tower wagons in block sections (under traffic & power block for TRD maintenance) will be done as under:**
 - b.(i): - **Tower Wagon as coupled vehicle:**
Multiple tower wagons should be moved in coupled condition while entering and leaving the working area within the traffic & power block permitted territory, wherever possible.
 - b. (ii): - **Tower wagons as separate vehicle:**

In the traffic block, if multiple Tower wagons are to work, they may be allowed under master and slave composition, in which one Tower Wagon may work as master and other as slave. Master shall take all blocks and slave shall work in their respective areas. Movement of Tower Wagon shall be as a convoy with a gap of minimum 200 meters between two Tower Wagons with first Tower Wagon up to maximum permissible speed, second Tower Wagon with speed up to 40 kmph, third Tower Wagon with speed up to 30 kmph and fourth Tower Wagon with speed up to 20 kmph, subject to observance of exiting PSR/TSR or any other restrictions of the section and rolling stock. If any of the Tower Car is required to slowdown or stop due to some reason, Driver of Tower Car should ensure that Red Hand Signal is displayed by waving vigorously.

For above movements, following guidelines will be followed:

- i) When more than one Tower Wagon is running in a block section, there should be a minimum distance of 200 meters between two units.
- ii) In case of down gradient and curvature where visibility is impaired, the speed should be further reduced along with maintaining safe distance as per the decision of site supervisor in-charge to ensure safety.
- iii) All Tower Wagons shall be worked only under traffic & power block with the permission of concerned Station Master and in accordance with the special instructions issued in this regard.
- iv) Each Tower wagons shall be in direct charge of a nominated Tower Wagon Driver. The Driver shall be responsible for the working of the Tower wagon under his charge. He shall be fully conversant with the rules of working of trains and of protection in case of emergency. He shall hold a valid certificate of competency for driving and working of the Tower Wagon.
- v) All Tower Wagons shall work as per provision given in para 17.08 of General Rules for Indian Railways supplemented by Subsidiary Rules of Railways.

This instruction is only for a ready reference and in no way supersede any rule books/manuals/JPO/Zonal circulars/Divisional Circulars/Instructions issued from time to time. In case of any doubt, concerned rule books and literature prevailing in Central Railway should be referred.


(S. K. Jaiswal)
DSO/Nagpur

CI- DRM For kind information please
CI- ADRIA (Admin) For kind information please
CI- ADRM (Tech) For kind information please



No. NGP/STF. 101.Z/Sl/15-2024-25

दिनांक: 20.12.2024

संरक्षा निर्देश संख्या - 15/2024-25

विषय: पावर और ट्रैफिक ब्लॉक के दौरान टावर वैगन के सुरक्षित संचालन के लिए निर्देश।

1. एक्सोल्स्यूट ब्लॉक सिस्टम में पावर और ट्रैफिक ब्लॉक के दौरान टावर वैगन के निम्नलिखित संचालन की अनुमति दी जाती है।

	काम करो और आगे बढ़ो	कार्य करो और वापस आओ
डबल लाइन (सही लाइन)	अनुमति है	अनुमति है
डबल लाइन (गलत लाइन)	अनुमति नहीं है	अनुमति है
सिंगल लाइन	अनुमति है	अनुमति है

स्वचलित ब्लॉक पध्दती के मामले में स्वचलित ब्लॉक क्षेत्र को एक्सोल्स्यूट क्षेत्र माना जाएगा तथा टावर वैगन को उपरोक्त अनुसार अनुमति दी जाएगी।


2. एक्सोल्स्यूट ब्लॉक सिग्नल टेरिटरी में टावर वैगन को किसी ट्रेन के पिछे सेक्शन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तथापि, इनटिग्रेटेड ब्लॉक के मामले में, एक या अधिक टावर वैगन को सामग्री ट्रेन/टीआरटी/पीक्यूआरएस/ट्रेक मशीनों के साथ भेजने की अनुमति दी जा सकती है। इस संबंध में टी एम मैनुअल और एस आर 65-4 का पालन किया जाएगा।
3. ब्लॉक में काम करते समय टावर वैगनों के बीच न्यूनतम 200 मीटर की दूरी बनाए रखी जानी चाहिए और आवश्यक सावधानी बरतते हुए साइट की कामकाजी स्थिति के आधार पर इसे कम किया जा सकता है।
4. टावर वैगन को सुरक्षित संचालन के लिए केवल लीडिंग कैब से चलाया जाना चाहिए।
5. टावर वैगन द्वारा टर्नआउट्स या क्रॉसओवर्स के अनुरक्षण की जाँच / संचालन करते समय, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिन टर्नआउट्स या क्रॉसओवर पॉइंट्स की जाँच की जानी है या उनका रखरखाव किया जाना है, उन पर अनुमानित संचालन के लिए ठीक से सेट किया जाना चाहिए। अन्यथा इसके पट्टी से उतरने या अन्य अप्रिय घटना हो सकती है।
6. पावर और ट्रैफिक ब्लॉक के दौरान टावर वैगन द्वारा ओपचर्ड रखरखाव करते समय, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कौनसे ओपचर्ड मार्ग लोकेशन से पावर ब्लॉक सेक्शन शुरू होता है और पावर ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के बाद ही टावर वैगन का पेटोग्राफ ऊपर उठाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवश्यक खंड

- का पावर ब्लॉक टीपीसी द्वारा दिया गया है।
7. खंड नियंत्रक से अनुमति मिलने के बाद जेई/एसएसई (टीआरडी) को मानक प्रोफार्मा टी/1708ए में ब्लॉक परमिट जारी किया जाएगा। हालांकि स्टेशन सेक्शन के भीतर टावर वैगन की आवाजाही के लिए टी/806 जारी किया जाएगा।
 8. ओएचई रखरखाव के लिए टावर वैगन द्वारा आगे बढ़ने से पहले, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि टॉवर वैगन का अर्थिंग आइसोलेटर बंद स्थिति में है।
 9. गलत दिशा में गति प्रतिबंध: - यातायात की सामान्य दिशा के विपरीत दिशा में चलने वाला टॉवर वैगन की गति 25 कि०मीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। यह SR 6.02-1(II) के समान है, यानी डबल लाइन सेक्शन में काम करने वाली सिंगल लाइन के लिए गति प्रतिबंध।
गति प्रतिबंध को ब्लॉक अनुमति देने वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा " ब्लॉक परमिट / इंटीग्रेटेड ब्लॉक मांग नोटिस और परमिट" के सतर्कता आदेश कॉलम में भी उल्लेख किया जाना चाहिए।
 10. टावर वैगनों के परिचालकों/पायलटों को सावधानीपूर्वक वाहन चलाना चाहिए, लगातार सीटी बजानी चाहिए और किसी भी अवरोध से बचने के लिए हाथ संकेतों के निर्देशों का पालन करना चाहिए। इसे ब्लॉक अनुमति देने वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा "ब्लॉक परमिट / इंटीग्रेटेड ब्लॉक मांग नोटिस और परमिट" के सतर्कता आदेश कॉलम में उल्लेख किया जाना चाहिए।
 11. डबल लाइन सेक्शन पर ट्रैफिक की सामान्य दिशा के विपरीत दिशा में चल रहे टावर वैगन के परिचालकों/पायलटों को फ्लैशर लाइट चालू करनी चाहिए।
 12. प्रदान किए गए ब्लॉक के बारे में संदेश : प्रदान किए गए ब्लॉक का संदेश, वाहनों की संख्या, ब्लॉक सेक्शन में वाहनों की आवाजाही का क्रम, ब्लॉक प्रदान का समय, जो कि ब्लॉक मांगपत्र और परमिट में उल्लेख किया गया है, मोबाइल फोन पर कार्यकारी इंचार्ज/ ओवरऑल इंचार्ज (इंटीग्रेटेड ब्लॉक के मामले में) द्वारा साइट इंचार्ज को सूचित किया जाना चाहिए।
 13. कार्यस्थल की संरक्षा: कार्यस्थल को आईआरपीडब्ल्यूएम पैरा 806(2), एसआर 4.65-5 और जी आर 15.09 और उस पर लागू होने वाले एस आर के अनुसार जरूरत के हिसाब से प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए।
 14. खंड में काम करने वाले सभी कर्मियों द्वारा ल्यूमिनस जैकेट/बैंड पहनना: ब्लॉक में काम करने वाले सभी कर्मियों को ब्लॉक की पूरी अवधि के दौरान चमकदार (रेट्रो-रिफ्लेक्टिव) जैकेट/बैंड पहनना चाहिए।
 15. असामान्यता से बचने के लिए टॉवर वैगन द्वारा किए जाने वाले कार्य में किए गए परिवर्तनों की सूचना स्टेशन से संबंधित स्टेशन मास्टरों और टीपीसी को दी जानी चाहिए।
 16. कार्य की समाप्ती पर, टावर वैगन के इंचार्ज, सेक्शन के क्लिअर होने पर सेक्शन क्लिअर है यह प्रमाणित करेगा तथा सभी टावर वैगन द्वारा सेक्शन क्लिअर कर देने के टोकन के स्वरूप ट्रेन सिग्नल रजिस्टर में हस्ताक्षर करेगा।
 17. टावर वैगन की आवाजाही और ब्लॉक सेक्शन में मल्टीपल टावर वैगनों की आवाजाही (टीआरडी रखरखाव के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक के तहत) के लिए कुछ अतिरिक्त एहतियात निम्नानुसार किए जाएंगे [रेलवे मैनुअल ऑफ पीसी ट्रैक्शन (एसीटीएम) खंड II भाग 1, अध्याय-3, पैरा 20319 उप पैरा (सी) के अग्रिम सुधार पृष्ठी संख्या 7 के अनुसार]:
 - क. आवाजाही: ट्रक पर ओएचई निरीक्षण कार की आवाजाही ट्रेन की आवाजाही को नियंत्रित करने वाले सभी नियमों द्वारा शासित होगी।
 - ख. ब्लॉक सेक्शन में मल्टीपल टावर वैगनों की आवाजाही (टीआरडी रखरखाव के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक के तहत) निम्नानुसार की जाएगी:
 - ख.(i): - युग्मित वाहन के रूप में टावर वैगन: जहां भी संभव हो, ट्रैफिक और पावर ब्लॉक अनुमत क्षेत्र के भीतर कार्य क्षेत्र में प्रवेश करते और छोड़ते समय मल्टीपल टावर वैगनों को युग्मित स्थिति में चलाया जाना चाहिए।
 - ख.(ii): - अलग वाहन के रूप में टावर वैगन:

ट्रैफिक ब्लॉक में, यदि कई टावर वैगन काम करने हैं, तो उन्हें मास्टर और स्लेव संरचना के तहत अनुमति दी जा सकती है, जिसमें एक टावर वैगन मास्टर और दूसरा स्लेव के रूप में काम कर सकता है। मास्टर टावर वैगन सभी ब्लॉकों को संभालेगा और स्लेव अपने-अपने क्षेत्रों में काम करेगा। टावर वैगन की आवाजाही दो टावर वैगनों के बीच कम से कम 200 मीटर के अंतराल के साथ एक काफिले के रूप में होगी, जिसमें पहला टावर वैगन अधिकतम स्वीकार्य गति (MPS) तक, दूसरा टावर वैगन 40 किमी प्रति घंटे तक की गति से, तीसरा टावर वैगन 30 किमी प्रति घंटे तक की गति से और चौथा टावर वैगन 20 किमी प्रति घंटे तक की गति से चलेगा, बशर्ते कि पीएसआर/टीएसआर या सेक्शन और रोलिंग स्टॉक के किसी अन्य प्रतिबंध का पालन किया जाए। यदि किसी भी टावर कार को किसी कारण से धीमा करने या रोकने की आवश्यकता होती है, तो टावर कार के चालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जोर से हाथ हिलाकर लाल हाथ का संकेत दिखाया जाए। उपरोक्त गतिविधियों के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा:

- i) जब एक ब्लॉक सेक्शन में एक से अधिक टावर वैगन चल रहे हों, तो 'दो इकाइयों के बीच न्यूनतम 200 मीटर की दूरी होनी चाहिए।
- ii) डाउन ग्रेडिएंट और वक्रता के मामले में जहां दृश्यता खराब है, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइट सुपरवाइजर प्रभारी के निर्णय के अनुसार सुरक्षित दूरी बनाए रखने के साथ-साथ गति को और कम किया जाना चाहिए।
- iii) सभी टावर वैगनों को संबंधित स्टेशन मास्टर की अनुमति से और इस संबंध में जारी विशेष निर्देशों के अनुसार केवल यातायात और पावर ब्लॉक के तहत काम किया जाएगा।
- iv) प्रत्येक टावर वैगन एक नामित टावर वैगन चालक के सीधे प्रभार में होगा। चालक अपने प्रभार के तहत टावर वैगन के कामकाज के लिए जिम्मेदार होगा। वह ट्रेनों के संचालन और आपात स्थिति में संरक्षा के नियमों से पूरी तरह परिचित होगा। उसके पास टावर वैगन चलाने और संचालन के लिए योग्यता का वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- v) सभी टावर वैगन भारतीय रेलवे के सामान्य नियमों के पैरा 17.08 में दिए गए प्रावधान के अनुसार काम करेंगे, जो रेलवे के सहायक नियमों द्वारा पूरक हैं।

यह निर्देश केवल तत्काल संदर्भ के लिए है और किसी भी तरह से समय-समय पर जारी किए गए किसी भी नियम पुस्तिका/मैनुअल/जेपीओ/जोनल परिपत्र/मंडलीय परिपत्र/निर्देशों का अधिक्रमण नहीं करता है। किसी भी संदेह की स्थिति में, संबंधित नियम पुस्तिकाओं और मध्य रेलवे में प्रचलित नियमों का संदर्भ लिया जाना चाहिए।



(एस के जैसवाल)

मंडल संरक्षा अधिकारी

मध्य रेल, नागपुर

प्रतिलिपी : मंडल रेल प्रबंधक, नागपुर : कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपी : अपर मंडल रेल प्रबंधक(प्रशासन), नागपुर : कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपी : अपर मंडल रेल प्रबंधक(टैक्निकल), नागपुर : कृपया सूचनार्थ प्रेषित।